**<u>न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर</u>**

पीठासीन अधिकारीः इंदिरा बनेरा, जिला न्यायाधीश संवर्ग

निगरानी फौजदारी सं.02/2023

सी.आई.एस. नं.02/23,**CNR No.RJSG150000049-2023**

1. विक्रमसिंह पुत्र छुगसिंह उम्र 43 वर्ष निवासी गांव उन्दोई पुलिसथाना रामसर जिला बाड़मेर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक श्रीकरणपुर

–गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2022 जो श्री कालूराम आर.जे.एस अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर द्वारा प्रकरण बअनवानी राज्य बनाम किशनसिंह आदि मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 705/2022 अन्तर्गत धारा 420, 409, 120 बी भा.द.स. में पारित कर निगरानीकर्ता के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने के आदेश दिये <u>जाकर आरोप विरचित किये गये।</u>

<u>उपस्थितिः</u>

1. श्री मनोज कुमार बिश्नोई अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से

2. अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से

<u>आदेश</u> <u>दिनांकः30.06.2023</u>

1. निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर के आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण बअनवानी राज्य बनाम किशनसिंह आदि मूल फौजदारी प्रकरण सं.705/2022 में पारित कर निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 420, 409, 120 बी भा.द.स. में आरोप विरचित

करने का आदेश दिया गया था।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17.09.2019 को परिवादी पलविन्द्र कुमार ने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर के समक्ष इस आशय का परिवाद पेश किया था कि मंडी पदमपुर में संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाईटी लि. का कार्यालय खुला हुआ है, जिसमें वित्तीय लेन देन में कई तरह की योजनाओं का कारोवार होता है। आरोपीगण के अधीन उक्त शाखा संचालित की जा रही थी। उक्त सोसाईटी में वह दिनांक 01.01.2016 से 13.05.2018 तक बतौर कर्मचारी कार्यरत था तथा उसके बाद बतौर अभिकर्ता लगातार कार्य कर रहा है तथा उसके अलावा अन्य अभिकर्ता भी हैं। उक्त सोसाईटी में जो राशि परिपक्व हो गई है, सोसाईटी द्वारा निवेशको को नहीं लौटाया जा रहा है तथा जांच का हवाला देकर भुगतान में टालमटोल की जा रही है। सोसाईटी के अधिकारियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन व इश्तेहार छपवा कर और सोसाईटी को बतौर बैकिंग सेवा का कह कर ब्रांच में कार्यरत कर्मचारियों ने सोसाईटी में जमा करवाई गई राशियों को छल कारित करके ठक लिया है तथा अब एक राय होकर जमा राशियों खुर्दबुर्द कर गबन करना चाहते हैं व राशियों का दुर्विनियोग कर रहे हैं, आदि।

3. इस परिवाद को धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत पुलिसथाना पदमपुर को प्रेषित करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.270/2019 अन्तर्गत धारा 406, 420, 408, 409, 120 बी भा.द.स. में दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम किशनसिंह तथा निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 420, 406, 408, 409, 120 बी भा.द.स. के तहत आरोप पत्र विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुन कर आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 के द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 409, 120 बी भा.द.स. के तहत आरोप विरचित करने के आदेश दिये जाकर उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित किये गये, जिस आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि निगरानीकर्ता ने किसी भी सरकारी सम्पत्ति या रकम का गबन नहीं किया है और

न ही कोई राशि जमा रही है। इस कारण धारा 409 भा.द.स. का आरोप नहीं बनता है।

5. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह भी तर्क है कि परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना प्रकट नहीं होता है। निगरानीकर्ता के द्वारा किसी से भी कोई राशि बतौर अमानत जमा नहीं करवाई गई है और न ही अपने पास रखी है। निगरानीकर्ता द्वारा न तो कोई छल किया गया है और न ही कोई ठगी की गई है और न ही कोई आपराधिक षडयंत्र किया गया है। इस कारण निगरानीकर्ता विरूद्ध धारा 420, 120 बी भा.द.स. का अपराध भी बनना नहीं पाया जाता है। अनुसंधान के दौरान परीक्षित साक्षीगण ने अपने धारा 161 द.प्र.स. के बयानो में निगरानीकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं करके जो आलौच्य आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत नहीं है। अंत में निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अंत में निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7. दोनो पक्षों को सुना गया एवं विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2022 का अवलोकन किया गया।

8. निगरानीकर्ता की ओर से मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि निगरानीकर्ता द्वारा परिवादी के साथ न तो कोई छल किया गया है और न ही कोई ठगी की गई है, न ही किसी सरकारी राशि का गबन किया है और न ही कोई आपराधिक षडयंत्र किया गया है। इस कारण निगरानीकर्ता विरूद्ध धारा 420, 409, 120 बी भा.द.स. का अपराध बनना नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा किसी से कोई राशि प्राप्त की गई थी। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो परिवादी पलविन्द्र कुमार के अलावा अन्य साक्षीगण

युवराज गर्ग, संदीप कुमार, दौलतराम, निरज शर्मा, भोलाराम, आशीष कुमार, रूपेन्द्रसिंह तथा ने अपने धारा 161 द.प्र.स. के बयानो में निगरानीकर्ता द्वारा अन्य आरोपी किशनसिंह के साथ मिल कर संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाईटी लि. के नाम से मंडी पदमपुर में कार्यालय खोल कर अभिकर्ताओं के माध्यम से राशियां जमा करवाना तथा राशियों के परिपक्व होने के बाद उनके द्वारा जमा करवाई गई राशियों को उन्हे वापिस नहीं लौटाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं।

9. इसके अलावा अनुसंधान से निगरानीकर्ता व अन्य आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 406, 408, 409, 120 बी भा.द.स. के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाकर उनके विरूद्ध उक्त धाराओ में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने बहस के दौरान जो बिन्दू उठाये हैं, वे साक्ष्य से संबंधित हैं और प्रकरण में पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध होने के पश्चात ही उनके संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

10. इसके अलावा पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध जो आरोप विरचित करने के आदेश दिये गये हैं, वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थित हैं। आरोप विरचना की स्टेज पर प्रकरण के तथ्यों पर गहनाता से विचार नहीं करना होता है बल्कि आरोप विरचना की स्टेज पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है अथवा नहीं यही देखा जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पर उपलब्ध सामग्री का समग्रता से विवेचन कर आलौच्य आदेश पारित किया है

11. उपरोक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय का आलैच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप को कोई आधार नहीं है। इस प्रकार निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 पुष्ट किये जाने योग्य है।

## आदेश

12. फलतः निगरानीकर्ता विक्रमसिंह की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर के आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 की पुष्टि की जाती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रति सहित अविलम्ब विचारण न्यायानय को लौटाई जावे।

(इंदिरा बनेरा)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

13. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इंदिरा बनेरा)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर